

1	जिगाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकल्पिता अधिकारी	उपअध्यक्ष
3	जनपदीय आशा नोडल अधिकारी	संयोजक
4	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
5	जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई.सी.डी.एस.)	सदस्य
6	जिला संचालन अधिकारी	सदस्य
7	जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी	सदस्य
8	आइएएमए/आइएपीए के प्रतिनिधि	सदस्य

2. जनपदीय आशा मंत्रालिग समूह की संरचना-

- आशा योजना के अंतगत समय-समय पर जारी शासनादेशों व निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराये जाने में सहयोग करना।
- नैमासिक आहार पर आशा मंत्रालिग समूह की बैठक आयोजित कर समस्याओं तथा प्रस्तावित नवीन रणनीतियों को शंयर करना।
- सदस्यों द्वारा समय-समय पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों का दौरा कर आशा कार्यक्रम का पर्यवेक्षण कर रणनीतिक दिशा-निर्देश विकसित करने में राज्य को सहायता प्रदान करना।
- आशा कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया में सहयोग करना।

1. आशा मंत्रालिग समूह के मुख्य उद्देश्य-

राष्ट्रीय मांशुल स्वास्थ्य मिशन के अंतगत स्वास्थ्य सुविधाओं को समुदाय तक पहुँचाने एवं उपलब्ध सेवाओं को समन्वय में समुदाय को जागक कराने में आशा की अहम भूमिका है। जैसा कि आपको विदित है आशा कार्यक्रम को सुदृढ़ता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य एवं जनपद स्तर पर आशा मंत्रालिग समूह गठित है। संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, शिक्षण संस्थानों एवं मंडिकल कालेजों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। उपरोक्त समूह का प्रमुख उद्देश्य आशा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मिशन निर्देशक की नीति, कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं क्षमतावर्द्धन जैसे सुदृढ़ों पर सलाह देना है। पूर्व में प्रदेश में जनपद स्तर पर पत्र सं० एए०पी०एम०/कर्म०पी०/आशा सपोर्ट/2008-09/5/11363-71 दिनांक 29 मई, 2009 के द्वारा जनपद स्तरीय आशा मंत्रालिग समूह गठित करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश प्रेषित किये गये थे।

विषय: राष्ट्रीय मांशुल स्वास्थ्य मिशन के अंतगत वर्ष 2013-14 हेतु जनपद स्तरीय आशा मंत्रालिग समूह मद्र में अनुमोदित धनराशि के व्यय के समन्वय में दिशा-निर्देश।

पत्रांक: ए०क०/०८-प्रशि०/आशा मंत्रालिग गूप/2013-14/ दिनांक/५ ०८.२०१३

उत्तर प्रदेश।

समस्त मुख्य विकल्पिताधिकारी,

सेवा में,

लखनऊ।

परिवार कल्याण महानिदेशालय,

परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश,

महानिदेशक,

प्रश्क,

स्थूल पोस्ट

वर्ष 2013-14 में के अनुमोदित कार्ययोजना में प्रत्येक जनपद के लिये रु० 10000 उपरोक्त मद में स्वीकृत किये गये हैं। जिसके अंतर्गत प्रत्येक ज़ेमास में (वित्तीय वर्ष में कुल चार बैठकें) जिला स्तर पर एक बैठक प्रावधानित है। यह धनराशि एक०एच०आर० कोड सं० B1.1.5.4 के अंतर्गत जनपदों को आवंटन की जा रही है।

(अ) यात्रा व्यय (वास्तविक आधार पर)	रु० 1000/-
(ब) बैठक हेतु जलपान	रु० 500 /-
(स) कन्टीनैन्सी एवं अन्य	रु० 1000/-

8. जनपदीय आशा मन्ट्रिंग समूह के संवाहन हेतु प्रशासनिक/वित्तीय व्यवस्था-

1. आशा मन्ट्रिंग समूह के सदस्य जनपदीय आशा मन्ट्रिंग समूह की बैठक के विचारणीय बिन्दुओं को पर प्रस्तुत करेंगे।
2. प्रयास किया जाय कि स्वीकृत संगठन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से भ्रमण कार्यक्रम बनाकर जायेंगी। जिसमें सदस्यगण आवश्यक फीडबैक/सुझाव देंगे और विभिन्न बिन्दुओं पर अपनी आख्या जिला स्तर होगा। जनपदों में आशा मन्ट्रिंग समूह की बैठक प्रत्येक ज़ेमास में कम से कम एक बार आयोजित की जायेंगी।
3. आशा मन्ट्रिंग समूह के प्रत्येक सदस्य को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में आशाओं की मूख्य दायित्व एवं ऐसे घरां तक आशा की पहुँच सम्बन्धी
4. आशा के कार्यक्षेत्र में अस्तित्व/अपस्थित समुदायों एवं घरां का स्वास्थ्य सेवाओं के उपभोग में भागीदारी
5. विभिन्न विभागों के ग्राम स्तरीय अगली पंक्ति के कार्यकर्तियों/कार्यकर्तियों के साथ समन्वयन सम्बन्धी
6. आशाओं द्वारा अपनी गतिविधियों के निष्पादन में आने वाली समस्याएँ
7. आशा शिक्षाकायल निरकरण प्रक्रिया
8. आशा प्रतियुक्ति राशि मुगलान प्रक्रिया
9. ब्लॉक स्तरीय आशा मासिक बैठक
10. आशा प्रतिपूर्ति राशि मुगलान प्रक्रिया

3. आशा योजना के मुख्य बिन्दु जिन पर समूह के सदस्य फीडबैक प्राप्त कर प्रभावी परिणाम हेतु सुझाव दे सकते हैं-

16	राज्य आशा मन्ट्रिंग समूह से नामित सदस्य	सदस्य
15	स्वास्थ्य निरीक्षिका (टी)	सदस्य
14	जिला कम्प्युनिटी प्रोसेस मैनेजर	साथी
13	एच०ई०आर० (टी)	सदस्य
12	स्वीकृत संस्थाओं के प्रतिनिधि (छः)	सदस्य
11	सी०डी०पी०आर० (टी)	सदस्य
10	बी०डी०आर० (टी)	सदस्य
9	पी०एच०सी०/पी०एच०सी० प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (टी)	सदस्य

जनपदीय आशा मन्टरिंग समूह के समस्त सदस्यों को आशा योजना की मन्टरिंग के लिए यथा आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि वे स्वतंत्र रूप से समुदाय/पंचायत स्तर पर कार्य कर निस्वार्थ फील्डवर्क एवं सुधारवादी कार्य में सहभागिता दे सकें, जिससे आशा कार्यक्रम को सुदृढ़ता प्रदान की जा सके।

भवदीय,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,

पत्रांक: 40क0/08-प्रश10/आशा मन्टरिंग ग्रुप/2013-14/2142-140 तददिनांक: 9-10-13

प्रतिनिधि: निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त मण्डलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य मंत्रालय, नए दिल्ली।
4. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, शिक्षा एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक/जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, उ0प्र0।
7. वित्त नियंत्रक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, एन0आर0एच0एम0, लखनऊ।
8. समस्त शिक्षा वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय मुख्य अधिकारी का इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपयुक्त दिवस निर्देशों के अनुसार वित्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें तथा व्यय विवरण समय से भेजवाना सुनिश्चित करें।

9. महानिदेशक, एन0आर0एच0एम0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त दिशा-निर्देशों को राष्ट्रीय प्राथमिक स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(N.R.H.M.)

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
9-10-13